भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 340 का उत्तर

रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नई भर्तियां

340. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को भरने के लिए समयबद्ध आधार पर नए अभ्यर्थियों की भर्ती करने और त्वरित भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नई भर्ती नीति पर विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान रेलवे के प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 60 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;
(घ) रेलवे के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अराजपत्रित और राजपत्रित रिक्तियों और त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों के लिए की गई भर्तियों का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित कौशल वाले उपयुक्त नए अभ्यर्थियों की भर्ती करने में कठिनाइयां हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या नई भर्ती की तुलना में सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनः नियुक्ति अधिक लागत प्रभावी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मुख्य रूप से परियोजना आधारित संगठन हैं, जिनमें पदों की स्वीकृति और भर्ती एक गतिशील प्रक्रिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कर्मचारियों को नई भर्ती के रूप में शामिल करने अथवा 60 वर्ष की आयु की सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुन: नियुक्त करने आदि के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का विधिवत् अनुपालन करते हुए, कार्यभार के आधार पर, आवश्यकतानुसार पदों को भरते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती हेतु सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर एक स्थापित प्रक्रिया है और इसका बिना किसी कठिनाई के नियमित रूप से पालन किया जाता है। विशिष्ट कार्य और अवधि के लिए, व्यावसायिक आवश्यकतानुसार उनकी विशेषज्ञता और अनुभव पर विचार करते हुए, सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनः नियुक्ति की जाती है। वे मुख्य रूप से अस्थायी मैनपावर की कमी को दूर करते हैं। नई भर्ती की तुलना में इस प्रकार की पुनः नियुक्ति की लागत प्रभावकारिता मामला दर मामला आधार पर निर्भर करती है।

बहरहाल, नियमित संवर्ग को बनाए रखने के लिए नई भर्ती की जाती है, जो दीर्घावधिक दृष्टि से संगठन के लिए आवश्यक है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, 4619 अदद नई भर्तियां तथा 1574 अदद पुनर्नियुक्तियां की गईं हैं।

*****